न्यायालय उपखण्ड अधिकारी उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनू (राज.)

पीठासीन अधिकारीः– श्री राम सिंह राजावत(आर.ए.एस.)
जी सी एम एस न0 :–2018/00616 दर्ज दिनांक 22.10.2018
मुकदमा नम्बरः– 271/2018 निर्णय दिनांक 13.02.2023

झाबरमल पुत्र गौरूराम उम्र 70 वर्ष जाति माली निवासी वार्ड न.त्र 01, तन उदयपुरवाटी तहसील उदयपुरवाटी जिला झुन्झुनूं।

वादी

बनाम

तहसीलदार, तहसील उदयपुरवाटी, जिला झुन्झुनूं।

प्रतिवादी

वादपत्र बाबत् उद्घोषणार्थ व दुरूस्ती नाम
अन्तर्गत धारा 136 एल.आर एक्ट

निर्णय दिनांकः–13.02.2023

वादी ने जरिये अधिवक्ता दावा बाबत घोषणार्थ एवं विभाजन इस आशय का पेश किया कि कस्बा उदयपुरवाटी की सरहद में भूमि खसरा न. पुराना 4 जिसके नये खसरा न. 9 रकबा 0. 51 है0 व भूमि खसरा न. पुराना 3मी. जिसके नये खसरा न. 8 रकबा 0.20 है0 स्थित है जिसकी खातेदारी वादी के नाम से अंकित है, राजस्व रिकॉर्ड को लेकर कोई विवाद नहीं है। पुराने राजस्व रिकॉर्ड में उपरोक्त भूमि बारानी प्रथम अंकित होने के बावजूद नये राजस्व रिकॉर्ड में भूमि खसरा न. 8 में से 0.03 है0 भूमि गैर मुमकिन सड़क तथा भूमि खसरा न. 9 सम्पूर्ण को गैर मुमकिन सड़क किस्म के रूप में अंकित कर दिया गया, क्योंकि मौके पर भूमि खसरा न. 8 व 9 काश्त के रूप में काम आ रही है, उपरोक्त भूमि पर ना ही तो पहले कोई सड़क थी और ना ही आज है, वैसे भी बन्दोबस्त विभाग को भूमि की किस्म परिवर्तित करने का कोई अधिकार नहीं है। उपरोक्त भूमि की गलत किस्म अंकित होने से भविष्य में चलकर वादी के हक हकुकों पर क्लाउड आने का अन्देशा उठ खड़ा हो गया है, इसलिए भूमि खसरा न. 8 व 9 स्थित ग्राम उदयपुरवाटी की किस्म बारानी प्रथम अंकित की जाने हेतु राजस्व रिकॉर्ड का वाद पेश है। वादी अपने हक व हिस्से की भूमि पर ऋण से सम्बन्धित कागजात बनवाने के लिए पटवार हल्का के पास दिनांक 28.06.2018 को गया तो उसके तथा सम्पूर्ण राजस्व रिकॉर्ड बाबत जानकारी देने पर नकल हेतु निवेदन किया जिन्होंने सम्पूर्ण स्थिति को स्वीकार कर दिनांक 15.10.2018 को सक्षम न्यायालय में चाराजोही बाबत् निर्देशित किया। प्रस्तुत वाद के लिए वादाधिकार दिनांक 28.06.2018 को पटवारी हल्का द्वारा गलत राजस्व अभिलेख की जानकारी देने के बाद प्रतिवादी से रिकॉर्ड दुरूस्ती हेतु निवेदन करने पर उनके द्वारा सम्पूर्ण स्थिति को स्वीकार करके दिनांक 15.10.2018 को सक्षम न्यायालय में चाराजोही हेतु निर्देशित करने के रोज माननीय न्यायालय के क्षेत्राधिकार में उत्पन्न हुआ। अतः वादपत्र प्रस्तुत कर निवेदन है कि ग्राम उदयपुरवाटी की सरहद में खसरा न. नया 8 व 9 कि किसम गैर मुमकिन सड़क की जगह वादी बारानी प्रथम का काश्तकार है, तदनुसार

Signature Not Verified
Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:54:04 IST
Reason: SelfAttested

...स्व अभिलेख दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी को आदेश फरमाया जाना प्रार्थनीय है। वादपत्र दर्ज ...किया जाकर प्रतिवादीगण की तलबी वास्ते जबाबदेही की गई।

प्रतिवादी ने पत्रावली की आदेशिका में जवाब प्रस्तुत कर निवेदन किया कि वादपत्र में वर्णित भूमि किस्म. गैर मुमकिन सड़क होकर प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है जिस पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रतिभूत नहीं होते हैं अतः वादपत्र खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

बहस वाद पत्र पर श्रवण कि गई । बहस में वकिल वादी ने वाद पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराया तथा कथन किया कि बन्दोबसत विभाग ने अपने अधिकार क्षेत्र से बाहर जाकर भूमि खसरा न. नया 8 व 9 की किस्म बाबत् वादी को कोई नोटिस अथवा सुनवाई का मौका नहीं दिया गया था, इस तरह से न्याय के प्राकृतिक सिद्धान्तों से विपरीत जाकर मनमाने रूप से भूमि की किस्म गैर मुमकिन सड़क गलत रूप से अंकित की गई है, जो दुरूस्त होने योग्य है। भूमि खसरा न. 8 व 9 की किस्म गैर मुमकिन सडक की जगह वादी बारानी प्रथम खातेदार काश्तकार है, तदनुसार राजस्व अभिलेख दुरूस्ती हेतु प्रतिवादी को आदेशित किया जाना प्रार्थनीय है। बहस में प्रतिवादी ने कथन किया कि वादपत्र में वर्णित भूमि किस्म गैर मुमकिन सड़क होकर प्रतिबन्धित श्रेणी में आती है जिस पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रतिभूत नहीं होते हैं अतः वादपत्र खारिज फरमाया जाना प्रार्थनीय है।

पत्रावली एवं उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया तथा बहस, पर मनन किया गया। वाद पत्र में वर्णित भूमि कि किस्म गैर मु0 सड़क है जो प्रतिबंधित श्रेणी में आती है जिस पर किसी प्रकार के खातेदारी अधिकार प्रोदभूत नही होते है। पत्रावली में उपलब्ध दस्तावेज व उक्त विवेचना से वादी का वाद पत्र खारिज किया जाना उचित व न्यायोचित प्रतित होता है।

आदेश

वादी का वादपत्र साबित नही होने से खारिज किया जाता है।

13/2/23
उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

निर्णय आज दिनांक 13.02.2023 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

13/2/23
उपखण्ड अधिकारी
(रामसिंह राजावत)
उदयपुरवाटी

Signature Not Verified

Digitally signed by Ram Singh Rajawat
Date: 2023.06.14 16:54:04 IST
Reason: SelfAttested